Through-Email

From,

Mahfooz Ali,
District Judge,
Sant Kabir Nagar.

To,

Sri Ajai Kumar Srivastav,
Registrar General,
Hon'ble High Court Judicature at,
Allahabad.

Letter No. 599 / XV : Sant Kabir Nagar : **Dated** : 13-07-2020.

Subject: Regarding information about closing of District Court Sant Kabir Nagar.

Sir,

With humble request, it is submitted that as per report of Chairman Corona committee/ ADJ POCSO- I, Sant Kabir Nagar, Sri Satyendra Swarnkar, Suit clerk posted in the Court of Principle Judge, Family Court, has been found Corona positive. Therefore, in compliance of Hon'ble High Court's direction contained in Hon'ble Court's letter no. 1117/LXXXVII-CPC/e-Courts/ Allahabad dated 03.06.2020, for complete sensitization of entire court campus, all the courts and offices of District court, Sant Kabir Nagar have been closed for two days i.e. 14.07.2020 & 15.07.2020. In this regard an order was issued, copy of the same is being enclosed for kind perusal of Hon'ble court.

Information is being submitted accordingly.

Kindly apprise the Hon'ble Court.

Yours faithfully

Encl. As above

13/7/20

(Mahfooz Ali)
District Judge
Sant Kabir Nagar.

Scanned with CamScanner

कार्यालय जनपद न्यायाधीश जनपद न्यायालय संत कबीर नगर

प्रशासनिक आदेश संख्या- 165 /2020

दिनांक- 13. जुलाई .2020

अध्यक्ष कोरोना समिति/अपर जिला जज, पॉक्सो-1 द्वारा प्रेषित आख्या दिनाँकित-13.07.2020 के अनुसार परिवार न्यायालय में कार्यरत वाद लिपिक श्री सत्येन्द्र स्वर्णकार की कोरोना जांच रिपोर्ट पॉजिटिव पायी गयी है। उक्त आख्या में यह भी अंकित किया गया है कि उक्त लिपिक नये वादों के फाइलिंग के उपरांत उक्त वादों को परिवार न्यायालय में पेश करने के लिए ले जाने एवं मासिक व त्रैमासिक विवरणी दाखिल करने हेतु नवीन न्यायालय परिसर में आते-जाते रहे हैं। उक्त परिस्थितियों में कोरोना महामारी के संक्रमण के दृष्टिगत सम्पूर्ण न्यायालय परिसर (परिवार न्यायालय व नवीन न्यायालय परिसर) का सैनिटाइजेशन एवं संक्रमित कर्मचारी के संपर्क में आने वाले समस्त अधिकारीगण एवं कर्मचारीगण की कोरोना जांच कराया जाना आवश्यक है।

तदनुसार माननीय उच्च न्यायालय के पत्रांक 1117/LXXXVII-CPC/e-Courts/Allahabad दिनाँकित-03.06.2020 में दिये गये दिशा-निर्देश के अनुक्रम में सम्पूर्ण न्यायालय परिसर (परिवार न्यायालय व नवीन न्यायालय परिसर) के सैनिटाइजेशन हेतु 48 घंटे की अवधि अर्थात् दिनॉक- **14.07.2020** व **15.07.2020** तक न्यायिक अधिष्ठान संत कबीर नगर के समस्त न्यायालय एवं कार्यालय पूर्णतया बंद किया जाता है। दिनॉक-16.07.2020 को समस्त न्यायालय एवं कार्यालय पूर्ववत खुलेंगे। उक्त अवकाश की तिथियों में नियत सभी मुकदमों में अग्रिम सामान्य तिथि के बारे में सूचना अग्रिम कार्य दिवस पर सम्बन्धित न्यायालय द्वारा दी जाएगी।

मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट को निर्देशित किया जाता है कि उक्त अवकाश की तिथियों में रिमाण्ड आदि के संबंध में आवश्यक व्यवस्था सुनिश्चित करें।

जिलाधिकारी, मुख्य चिकित्सा अधिकारी संत कबीर नगर सम्पूर्ण न्यायालय परिसर का सैनिटाइजेशन एवं संक्रमित कर्मचारी के संपर्क में आने वाले अधिकारीगण एवं कर्मचारीगण की अविलम्ब कोरोना जांच कराया जाना सुनिश्चित करें।

नोडल ऑफिसर (कम्प्यूटर) को निर्देशित किया जाता है कि आदेश की एक प्रति जिला न्यायालय के आधिकारिक वेबसाइट पर अपलोड कराना सुनिश्चित करें।

सभी सम्बन्धित सूचित हो।

(महफूज अली)
जनपद न्यायाधीश
जनपद संत कबीर नगर।

पत्रांक 598/XV-114 संत कबीर नगर, दिनाँकित- 13 जुलाई 2020
प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ प्रेषित -

1. महानिबन्धक माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद।
2. जिलाधिकारी संत कबीर नगर।
3. मुख्य चिकित्सा अधिकारी संत कबीर नगर।
4. अधिशासी अधिकारी, नगर पालिका खलीलाबाद।
5. अधीक्षक जिला कारागार बस्ती।
6. अध्यक्ष जनपद बार एसोसिएशन संत कबीर नगर।
7. अध्यक्ष सिविल बार एसोसिएशन संत कबीर नगर।
8. समस्त न्यायिक अधिकारीगण संत कबीर नगर।
9. जिला सूचना अधिकारी संत कबीर नगर को इस आशय के साथ प्रेषित कि इस आदेश की सूचना प्रकाशन हेतु प्रसारित करें।

13/7/20
जनपद न्यायाधीश
जनपद संत कबीर नगर।

Scanned with CamScanner